

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ आफ दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर-302004

फोन न. 2706496, 2701938, फैक्स न. 2706534

कार्यालय राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन परिसर में सफाई व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत विवरण

प्रपत्र 'क'

1. निविदा शुल्क जमा कराये जाने का विवरण क्रमांकदिनांक राशि

1.	निविदादाता फर्म/संस्था का नाम	
2.	सम्पर्क हेतु डाक का पता/दूरभाष: <u>पूरा पता:</u> <u>दूरभाष:</u> कार्यालय: निवास: मोबाईल: ई-मेल:	
3.	फर्म मालिकाना है या साझेदारी या पंजीकृत संस्था	
4.	फर्म के मालिक/साझेदारों का नाम व पूरा पता 1) नाम 2) नाम 3) नाम	1) पता 2) पता 2) पता
5.	श्रम विभाग में पंजीयन क्रमांक..... शाप्टे एक्ट में पंजीयन क्रमांक..... सर्विस टैक्स पंजीयन क्रमांक.....	प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है/नहीं है प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है/नहीं है प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है/नहीं है
6.	(अ) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता	नाम- पता-

	(ब) किस हैसियत (यथा मालिक/अधिकृत ठेकेदार/मैनेजर/सचिव) से हस्ताक्षर किये हैं? (स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया हैं?	मालिक/अधिकृत ठेकेदार/मैनेजर/ सचिव हाँ/नहीं?
7.	यदि फर्म जयपुर से बाहर स्थित हो तो जयपुर शहर में स्थानीय संपर्क स्थल/सूत्र की जानकारी दें?	मो.नं. दूरभाष नं. पता-
8.	राजकीय विभाग/उपक्रमों में अनुभव का विवरण (क) कार्यअनुभव प्रमाण पत्र, जिसमें संस्थान का नाम, अवधि का स्पष्ट विवरण हो	संलग्न है/संलग्न नहीं है।
9.	संलग्न अमानत राशि का विवरण	जमा करा दी गई है/ नहीं कराई है। जमा कराने का प्रमाण संलग्न है/नहीं:- बैंकर चैक सं..... अथवा नकद रसीद सं.
10.	फर्म के पास उपलब्ध तकनीकी विवरण (अ) सफाई कर्मियों की संख्या में उपलब्धता (सूचि संलग्न करें) (ब) टेलीफोन/ईपीबीएक्स/कम्प्यूटर आदि उपकरणों एवं कारपेट्स और एसी फिल्टर्स आदि की सफाई का ज्ञान (स) निविदादाता का सफाई व्यवस्था संधारण के खाते में वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 15,00,000/- (प्रमाण स्वरुप गतवर्ष की आयकर विवरणी मय आय होनी चाहिए गणना की प्रति संलग्न करें।)	संख्या (अ)स्थाई (ब)अस्थाई है/नहीं आयकर विवरणी संलग्न है/संलग्न नहीं हैं
11	सफाई कर्ता आवेदक किसी सरकारी विभाग/एजेन्सी से ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। इसका शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें।	शपथ पत्र संलग्न है/संलग्न नहीं हैं

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

‘प्रपत्र ख’

संस्थान परिसर में सफाई व्यवस्था दर

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत विवरण*

क्र. सं.	कार्य का विवरण	मासिक दर (रुपयें में) समस्त परिलाभों एवं करों सहित (अंकों में)	मासिक दर (रुपयें में) समस्त परिलाभों एवं करों सहित (शब्दों में)
1.	कार्यालय, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में एक वर्ष के लिये <u>कार्यालय भवन एवं परिसर की</u> सफाई व्यवस्था का कार्य निविदा प्रपत्र में दर्शाये कार्य विवरणानुसार (बिन्दु 1 से 12, प्रपत्र ‘घ’)		

(ठेके की प्रस्तावित दर अंकों व शब्दों में सामान होनी चाहिए तथा किसी प्रकार की कांट-छांट नहीं होनी चाहिये। अकों व शब्दों में राशियों में अन्तर होने पर अथवा कांट-छांट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।)

घोषणा

उपर्युक्त जानकारी सही व तथ्यों पर आधारित है। यदि अनुबंध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विसंगतियाँ प्रमाणित हो तो अनुबंध निरस्त करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने निविदा शर्तों प्रपत्र ‘ग’ तथा बिन्दु 1-12 प्रपत्र ‘घ’ को भलि-भंति पढ़ लिया है एवं सम्बंधित एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र कागजात अथवा उनकी प्रति संलग्न कर दी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय

नाम.....

पता निवास स्थान एवं कार्यालय

.....

.....

मोबाईल न.

फोन न.

***निविदादाता दरें प्रस्तुत करने से पूर्व प्रपत्र ‘ग’ व ‘घ’ को ध्यानपूर्वक पढ़ें**

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, (SIHFW) जयपुर

कार्यालय भवन एवं परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा व संविदा की शर्तें प्रपत्र 'ग'

1. निविदादाता को समस्त सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में भरकर लिफाफे में बन्द कर संस्थान कार्यालय में इस हेतु रखे गये बक्से में निर्धारित समय से पूर्व जमा करानी होगी। निविदा के साथ निविदादाता की रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति अमानत राशि रु 24000/- का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद जमा रसीद तथा पिछले वर्षों का कार्यानुभव प्रमाण पत्र व कम से कम दो वर्षों का सरकारी/स्वायत्तशासी संस्था/निजी संस्थान का सफाई कार्य की संतोषप्रद सेवायें देने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। इसके अलावा निविदादाता को गत 3 वर्ष की आयकर विवरणी मय आय गणना प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी, जिसका वार्षिक टर्न ओवर 15,00,000/- से कम नहीं होना चाहिए। अनुभवी कुशल सफाईकर्मी एवं तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और दरें शब्दों के साथ-साथ अकों में लिखी जानी चाहिए।
3. निविदा उन व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए जो या तो वास्तव में उल्लेखित प्रकार के कार्यों के लिये अनुमोदित/अधिकृत हैं एवं जो वास्तव में उल्लेखित कार्यों को कर रहे हैं।
4. निविदाकार अपनी निविदा को सबलैट नहीं कर सकेगा।
5. उल्लेखित कार्य में आने वाले सभी साज व सामान आदि की व्यवस्था निविदाकार अपने स्वयं के खर्च से करेगा जिसके लिये उसे अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
6. उपयोग में लिया जाने वाला सम्पूर्ण साज व सामान उनके लिये निर्धारित विस्तृत विवरण व्यापार चिन्ह के अनुसार उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए जिसका विवरण, वह निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। संपादित किये जाने वाले कार्य स्थल पर निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई भी प्रतिनिधि उचित समय पर उपयोग में आने वाले/उपयोग में लिये जा रहे साज व सामान की जांच व परीक्षण करने में सक्षम होगा।
7. ठेकेदारों/निविदादाताओं को जिनको पूर्व में राजकीय कार्यालयों, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, बहुमंजिला "ए" क्लास कम से कम 50,000 स्क्वा. फीट कवर्ड एरिया वाले भवनों तक सफाई कार्य करने का कम से कम दो साल का अनुभव हो तथा अनुभव प्रमाण-पत्र जो कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो, निविदापत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत डाक द्वारा संपर्क किया जा सके। यदि कार्य स्थल पर समुचित समय में वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है, तो उसके द्वारा

अधिकृत उस व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्यालय पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु संपर्क स्थापित किया जा सकें।

9. समस्त दरें, कर व परिलाभ आदि, यदि कोई हो, तो इन्हे सम्मिलित करते हुये होगी। निविदा में वर्णित दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. कार्यो का संपादन एवं साज व सामानों का उपयोग विभाग की दृष्टि से संतोषजनक रूप से किये जाने का प्रमाण-पत्र लेकर मासिक विपत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा जिसके अभाव में भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. निविदाकार स्वयं अथवा उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के द्वारा विभाग की चल व अचल सम्पत्ति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्षति पहुंचाने की स्थिति में नुकसान की पूर्ति निविदादाता से की जावेगी।
12. निविदाकार जहां कहीं आवश्यक हो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत प्रवृत्त नियमों व निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अन्तर्गत निविदाकार के किसी दायित्व का भुगतान यदि विभाग को किन्ही परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली निविदाकार से की जावेगी।
13. यदि निविदाकार के कार्य से संस्थान के किसी अनुभाग में कोई भी शिकायत आने पर सही पाई गई, तो ठेकेदार के बिल भुगतान में से, शिकायत की गंभीरता के अनुरूप राशि काट ली जावेगी जिसका निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के निर्णय के विवेकाधीन होगा।
14. अनुबन्ध प्रारम्भ में 1 वर्ष के लिये होगा जिसकी अवधि स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक होगी। उपरोक्त अवधि में कार्य संतोषजनक पाए जाने पर निदेशक महोदय अनुबन्ध को इन्ही शर्तों के आधार पर आगे एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं।
15. निविदाकार को निविदा और अनुबन्ध की शर्तों और प्रतिबन्धों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में पूर्ण हस्ताक्षर करने चाहिए।
16. निविदा के साथ धरोहर राशि संस्थान में नकद जमा की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में होना चाहिए जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। धरोहर राशि का ड्राफ्ट राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), जयपुर के पक्ष में जयपुर में देय होने चाहिए। सफल निविदादाता की उक्त धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी।
17. सफल निविदाकार को निर्धारित प्रारूप में एक करार निष्पादित करना होगा और संविदा की यथावत क्रियान्विति के लिए अनुबंध राशि का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में करार पर हस्ताक्षर से पूर्व जमा

करवाने होंगे। प्रतिभूति की रकम समस्त अनुबन्ध को सफलता पूर्वक पूर्ण होने की दिनांक से दो माह पश्चात् लौटा दी जावेगी। ऐसी प्रतिभूति की रकम पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्ययों का संदाय निविदाकार करेगा और विभाग द्वारा निविदाकार को स्टाम्प लगे हुये निष्पादित करार की एक सत्यापित प्रति निःशुल्क दी जावेगी। यदि निविदाकार प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या निहित कालावधि में करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है, तो इस प्रकार विफल रहने की स्थिति में धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि विभाग द्वारा पूर्णतः या अंशतः जमा जब्त कर ली जावेगी और इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

18. निविदाकार या उसके प्रतिनिधियों की ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की जाने वाले संवाचना के कारण संविदा अमान्य हो जावेगी।
19. निविदाकार निविदा के साथ अपरिहार्य रूप से संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से प्राप्त आयकर शोधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा, परन्तु निविदाकार के लिखित निवेदन पर जिसमें विभाग के पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो तो करार के समय तक प्रस्तुत करने की छूट विभाग दे सकता है।
20. निविदाकार अपनी निविदा को वापिस नहीं ले सकेगा। सफल निविदादाता को एक सप्ताह की समयावधि में प्रतिभूति राशि जमा करके करार का निष्पादन करना होगा।
21. अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पालना के अधीन, ठेकेदार को सही प्रारूप में व तीन प्रतियों में मासिक तौर पर बिल प्रस्तुत करने पर विभाग चैक ड्राफ्ट के जरिये भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। मासिक बिल ठेके की पूर्ण राशि का बारहवां भाग होगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। ठेकेदार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से श्रोत पर कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जावेगी। ठेकेदार के आवेदन पर विभाग आयकर कटौती का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
22. समस्त कानूनी कार्यवाही का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालयों का होगा।
23. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाये अस्वीकार कर दी जावेगी।
24. किसी भी निविदा को या समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने/रद्द करने का अधिकार निदेशक, SIHFW को होगा।
25. निर्धारित समय पर या निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप कार्य न करने पर स्वीकृत निविदा निरस्त करने का अधिकार राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, (SIHFW) का होगा।

26. ठेकेदार को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, (SIHFW) द्वारा दी गई समस्त हिदायतों का अनुबन्ध में समावेश नहीं होने पर भी पालना करनी होगी। ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने पर या संतोषजनक कार्य नहीं करने पर निम्न प्रकार से कटौतियां की जावेगी।
1. किसी दिन पूर्णरूप से कार्य नहीं करने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं 3000/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ती लगाई जावेगी।
 2. आंशिक रूप से कार्य करने पर उस दिन के भुगतान में से 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी एवं 500/- रूपयों की शास्ती लगाई जावेगी।
27. सफाई कार्य के विवरण में दिये गये सफाई कार्य को करते समय यदि किसी सफाई श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या श्रमिक किसी भी रूप से अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके लिये मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। संस्थान इसके लिये किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
28. ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य में लगे समस्त श्रमिकों का नाम, पता व एक फोटो कार्य प्रारम्भ करने के समय से ही विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगा तथा श्रमिक के बदले जाने या नये लगाये जाने पर भी नाम, पता व फोटो उपलब्ध करवाई जावेगी। साथ ही दिए गए श्रमिकों का पुलिस वेरीफिकेशन करवाकर संस्थान में लगाया जाएगा।
29. ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य के निरीक्षण एवं विभाग से कोआर्डिनेशन हेतु एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जावेगा जो प्रति दिन कार्यालय समय में उपलब्ध रहेगा।
30. ठेकेदार को समय-समय पर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से करने की हिदायत दिये जाने के बाद यदि सुधार नहीं हुआ तो एक माह का नोटिस दिया जाकर ठेके को समाप्त करने का अधिकार राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, (SIHFW) को होगा।
31. अनुबंध के अन्तर्गत कार्य का भुगतान प्रभारी अधिकारी केयर टेकर द्वारा कार्य प्रमाणित करने पर मासिक आधार पर किया जायेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
32. संस्थान न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान राजस्थान जयपुर को होगा। यदि निविदादाता द्वारा दी गई दरें श्रम विभाग के नियमानुसार नहीं होंगी तो ऐसी निविदा को निरस्त करने का अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय को होगा।

33. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,(SIHFW) का सम्पूर्ण सफाई कार्य प्रतिदिन प्रातः 8 बजे तक पूरा करना होगा। प्रातः 8 बजे तक सफाई कार्य पूर्ण न होने की दशा में विभाग द्वारा 500/- प्रति दिन का जुर्माना लगाया जावेगा। उपरोक्त जुर्माना राशि ठेकेदार के मासिक बिल में से काट ली जावेगी।
34. सभी सफाई श्रमिक मय वर्दी में जिस पर नेम प्लेट का बैज भी लगा होगा ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे जो कि आठ घण्टे की अवधि की होगी तथा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था (SIHFW) की सफाई को नीट क्लीन रखेंगे। वर्दी व बैज का खर्च सेवा प्रदाता स्वयं वहन करेगा।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए सहमत हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय पूर्ण नाम

डाक पता निवास स्थान एवं कार्यालय

.....

.....

मोबाईल न.

फोन न.

सम्पादित किये जाने वाले कार्य व समयावधि (प्रपत्र 'घ')

1. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, (SIHFW) में भवन के समस्त ब्लॉक जिसमें हॉस्टल (36 कमरे व संलग्न लैटबाथ बॉलकोनी), केन्टीन (1) मय टॉयलेट, गेस्ट हाउस (1), 109 नं. फ़ैकल्टी ब्लॉक (5 कक्ष, 2 टॉयलेट, हॉल मय 4 वर्किंग स्टेशन), 103 नं. ब्लॉक (4 कक्ष, 1 टॉयलेट, हॉल मय 2 वर्किंग स्टेशन), लॉबी 1, पुस्तकालय 1, बरामदे 4, ऑडिटोरियम (122नं.) कॉन्फ़ेन्स हॉल 2(जीएफ व एफएफ) मय टॉयलेट, बोर्ड रूम (101 व 102 नं.), मीटिंग हॉल (120 नं.), कम्प्यूटर लैब, निदेशक कक्ष (201,203 व 204 नं.) मय टॉयलेट, केमेटी रूम (202 नं.), स्टाफ चाय केन्टीन 1, सीढियां, छत, सड़क, फुटपाथ, कार एवं मोटरसाईकिल पार्किंग स्टेण्ड, बगीचे, बाहरी खाली पड़ा क्षेत्र समस्त सीवरेज व ड्रेनेज नालियां, शौचालय, दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, कॉच, जालियां, पर्दे, पंखे, ट्यूबलाईट, अलमारियां, पीकदान, थूकदान, समस्त पानी की टंकियां इत्यादि सम्मिलित है जिसका अनुमानित कारपेट एरिया लगभग 50000 वर्ग फीट है।
2. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) की समस्त सीढियों, स्वागत कक्ष, बरामदे, पोर्च की सफाई व पोछा दिन में चार बार करना होगा।
3. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) के समस्त कमरों, दरवाजों, खिड़कियों, जालियों, शीशे के दरवाजे, आदि की सफाई व पोछा दिन में एक बार आवश्यक रूप से करना होगा।
4. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) के समस्त कचरा पात्रों की सफाई प्रतिदिन दो बार करनी होगी।
5. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) की समस्त सड़कों, फुटपाथों, भवन के चारों ओर की रेलिंग के अन्दर, परिसर, कार व स्कूटर स्टैण्ड, केन्टीन की सफाई एवं आवश्यक होने पर धुलाई प्रतिदिन करनी होगी तथा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) के कमरों में प्रतिदिन पोछा लगाना होगा।
6. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) की छत, पानी निकासी के पाईप, की सफाई माह में दो बार करनी होगी।
7. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में संवेदनशील क्षेत्रों कोरीडोर निदेशक के कक्ष, कॉन्फ़ेन्स व मीटिंग हॉल, लाईब्रेरी, कम्प्यूटर लेब आदि की सफाई आधुनिक सफाई यंत्रों से प्रतिदिन करवानी होगी।
8. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) के समस्त ट्यूबलाईट फिक्सचर, पंखों, मरकरी, लाईट व विद्युत ट्रांसफार्मर कक्ष की सफाई माह में एक बार करनी होगी।
9. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में मच्छरों इत्यादि के लिये कीटनाशक दवाई, (फिनाईल) का प्रयोग सांय 6-7 बजे प्रतिदिन करना होगा तथा चूहों की रोकथाम की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। संस्थान परिसर स्थित समस्त शौचालयों (जिनमें हॉस्टल व गेस्ट हाउस के

शौचालय सम्मिलित नहीं है) की सफाई दिन में दो बार करनी होगी। हॉस्टल कमरों व गेस्ट हाउस के शौचालयों की सफाई एक बार नियमित रूप से एवं आवश्यकतानुसार भी करनी होगी।

10. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) के राजकीय अवकाश के दिन बरामदों, सीढ़ियों कार व स्कूटर स्टैण्डों की सफाई व धुलाई का कार्य करना होगा।
11. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में जाले हटाने का कार्य सप्ताह में एक बार तथा आवश्यक हो तो तुरन्त करना होगा।
12. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में सफाई करने के बाद समस्त कूड़ा करकट व कचरे को भवन के बाहर नगर निगम द्वारा बताये गये उचित स्थान पर डलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

नोट: (क) माह के प्रथम व तृतीय रविवार को कार्यालय में समस्त स्टील रैक्स, आलमारी, छत के पंखे, ट्यूबलाईट्स, एसी के फिल्टर्स एवं कम्प्यूटर उपकरणों सहित अन्य समस्त कार्यालय उपकरण कार्यालय भवन की दीवारों, खिड़कियों के कॉच एवं जालियों, दरवाजों, फर्नीचर आदि की सफाई, कार्यालय के छत व दीवारों के जाले साफ करना, फिनीट आदि छिड़कना एवं कार्यालय भवन की छत एवं नालियों की सफाई का कार्य।

(ख) माह के द्वितीय एवं चतुर्थ रविवार को कार्यालय भवन एवं हॉस्टल के समस्त कमरों में धूल मिट्टी साफ करनी होगी। तथा संस्थान के कैंटीन की धुलाई करनी होगी। जिसमें आवश्यकता अनुसार पानी साबुन का घोल, फिनाईल, एसिड एवं अन्य आवश्यक कैमिकल्स का प्रयोग करना होगा।

(ग) कार्यालय परिसर का विवरणानुसार अवलोकन कार्यदिवसों में कभी भी कार्यालय समय में किया जा सकता है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय पूर्ण नाम

डाक पता निवास स्थान एवं कार्यालय

.....

.....

मोबाईल नं.

फोन न.

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, (SIHFW) जयपुर

कार्यालय भवन एवं परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों हेतु चैकलिस्ट

क्रम सं.	विवरण	संलग्न है	संलग्न नहीं है	लगू नहीं
1.	श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र			
2.	शापें एक्ट में पंजीयन प्रमाण पत्र			
3.	सर्विस टैक्स पंजीयन			
4.	आयकर टैक्स क्लियरेंस			
5.	राजकीय विभाग/उपक्रमों में अनुभव का			
6.	निविदा हस्ताक्षरकर्ता मालिक के स्थान पर अन्य कोई है तो समुचित अधिकार पत्र			
7.	संलग्न अमानत राशि का ड्राफ्ट/नगद जमा की रसीद			
8.	स्थाई व अस्थाई सफाई कर्मियों की उपलब्धता की सूचि			
9.	गत तीन वर्षों की आयकर विवरणी मय बैलेंस शीट			
10.	सफाई कर्ता आवेदक किसी सरकारी विभाग/एजेन्सी से ब्लेक लिस्ट तो नहीं है, इसका शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर			
11.	संस्थान परिसर में सफाई व्यवस्था दरें प्रपत्र 'ख' में			